संख्या-362/2023/1842/41-2023-49(बजट)/2022 टी0सी0

प्रेषक,

सुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः दिनांक 11 अप्रैल, 2023

विषयः- जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट) के निर्माण की परियोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्यों को कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-9119/2-9/(816-ii)/SIHM/गोरखपुर/का0/2021, दिनांक 01.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट) की स्थापना हेतु नामित कार्यदायी संस्था **कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम)** द्वारा गठित आगणन धनराशि **रू0 4998.48** लाख के प्रस्ताव को प्रेषित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 में परियोजना हेतु धनराशि रू0 **4838.89 लाख** आंकलित की गयी, जिसमें धनराशि **रू0 4,52,83,157.00 (रू० चार करोड़ बावन लाख तिरासी हजार एक सौ सत्तावन मात्र)** की उच्च विशिष्टियों के कार्य पाये गये। तत्क्रम में पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-9896 / 2-9 / (816-iii)/SIHM/गोरखपुर/का0/2023, दिनांक 23.03.2023 द्वारा परियोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

2- पर्यटन विकास और रोजगार सृजन में हॉस्पिटैलिटी उद्योग की विशेष भूमिका है। हॉस्पिटेलिटी उद्योग सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, अपितु एक ऐसे उद्योग के रूप में विकसित हुआ है जहाँ आतिथ्य सत्कार तथा अतिथि देवोभवः के सिद्धान्त पर काम होता है। वर्तमान परिवेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमानस की सोच, रहन-सहन, खान-पान और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

घूमने-फिरने की आदत में व्यापक बदलाव हुआ है। पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुख-सुविधाओं की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के गित सभी छोटे बड़े शहरों तथा करबों में होटल उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। इस उद्योग में विदेशी मुद्राकोष अर्जन पर्यटन तथा रोजगार में विकास की असीम सन्भावनायें है। इसी के दृष्टिगत योग्य और प्रशिक्षित पेशेवर युवाओं की आवश्यकता है। सम्पूर्ण विश्व में पर्यटकों व उद्यमियों का आना-जाना होता है, जिससे लोगों की मानसिकता, जीवन शैली, स्वास्थ्य के प्रति सजगता तथा उनके अनुरूप खान-पान, रहन- सहन में काफी बदलाव आया है।

हास्पिटैलिटी उद्योग इसके प्रति अत्यन्त संवेदनशील तथा सजग है एवं इस उद्योग के संचालन व विकास में विश्वव्यापी मानकों का समावेश करना अत्यन्त आवश्यक है। भारत वर्ष में विदेशी व्यंजन तथा विदेशों में भारतीय व्यंजन की लोकप्रियता में भी इस उद्योग की महत्ता है। इससे युवाओं को देश-विदेश में रोजगार प्राप्त होता है। भारत सरकर ने भी कुशल होटल प्रवचन के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी होटल प्रबन्धन संस्थान खुले हैं। इन संस्थानों में हजारों युवक-युवतियां विभिन्न ट्रेड्स में सर्टीफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त युवा अपनी दक्षता तथा कार्य कुशलता के आधार पर देश-विदेश में सम्मानजनक वेतन/स्व-व्यवसाय पर आजीविका अर्जित करने में सफल होते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार सम्भव हो पाता है।

आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत पर्यटन आधारित उद्योग के बहुमुखी विकास एवं रोजगारपरक कौशल विकास शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार कटिबद्ध है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में होटल आतिथ्य प्रबन्धन एवं खान-पान तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इससे बड़े पैमाने पर प्रदेश के युवाओं को आतिथ्य/ट्रैवेल एवं टूरिज्म के क्षेत्र में स्टार्टअप एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि अन्य उद्योगों की तुलना में होटल एवं खान-पान उद्योग तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं। भारत का ट्रैवेल ट्रेड सेन्टर विश्व के 7 वें स्थान पर है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 9.6 प्रतिशत है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में भारत का पर्यटन उद्योग विश्व के दूसरे स्थान पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी एवं कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे, फिल्म सिटी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इत्यादि विकास कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कराये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आतिथ्य/खान-पान एवं ट्रैवेल एण्ड टूरिज्म उद्योग के क्षेत्र में पेशेवर कुशल मैन पावर की बढ़ने वाली मांग को प्रस्तावित राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान द्वारा की जा सकेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का केन्द्र बिन्दु है तथा पड़ोसी देश नेपाल एवं पड़ोसी राज्य बिहार से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पर्यटक स्थल हैं, जहाँ देश-विदेश से प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए अनेक ब्राण्डेड समूहों के होटल उद्योग स्थापित हुए है। इस उद्योग में प्रशिक्षित व पेशेवर युवाओं की आवश्यकता है। जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान की स्थापना किये जाने से क्षेत्र के युवाओं को होटल प्रबंधन में कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को संचालित किया जायेगा। प्रतिवर्ष लगभग 1700 से अधिक युवक/युवतियों को परास्नातक डिग्री, परास्नातक डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, डिप्लोमा सर्टीफिकेट एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों को मिलाकर कुल 17 प्रकार के कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (एस०आई०एच०एम०) की स्थापना किये जाने हेतु नेशनल कौंसिल फार होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा की सम्बद्धता प्राप्त की जानी होगी और उनके अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रावधानों को अंगीकृत किया जाना होगा। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप इसके नवीन भवन का निर्माण भी किया जाना होगा, जिससे इस योजना हेतु भारत सरकार से रू0 16.50 करोड़ का वित्तीय अनुदान भी प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त के दृष्टिगत जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (एस०आई०एच०एम०) की स्थापना हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति अपने पत्र संख्या-73 (प)/2007-एच.आर.डी. दिनांक 07-09-2021 द्वारा प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा रू0 10.00 करोड़ भवन निर्माण, रू0 04.00 करोड़ छात्रावास निर्माण एवं रू0 2.50 करोड़ की धनराशि उपकरणों के क्रय हेतु इस प्रकार कुल धनराशि रू0 16.50 करोड़ प्राप्त होगी तथा आवश्यकतानुसार योजना की अवशेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (एस०आई०एच०एम०) प्रायोजना की प्रस्तावित/आगणन लागत रू0 4998.48 लाख के सापेक्ष पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित लागत रू0 4838.89 लाख है। प्रश्नगत प्रायोजना के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में सी०एण्डडी०एस० (उ०प्र० जल निगम) को नामित किया गया है। जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (एस०आई०एच०एम०) के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी एवं विकास कार्य (DEVELOPMENT WORK) में उच्च विशिष्टियों के कार्य जैसे-ग्लास मोजिक टाइल्स, ग्रेनाइट कार्य, कारनिस/सिल्स आदि हेतु जी०आर०सी० (ग्लास रेन फोर्ड कंक्रीट) टेराकोटा टाइल्स, सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक जाली, जे०आर०सी०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

टाइल्स, सी०एन०सी० आर्ट वर्क, एच०बी०ए०सी० सिटम, फाल्स सीलिंग, फाउन्टेन (वाटर बाडी फिल्टर सिस्टम लाईट सहित) आदि का रू० 4.52.83,157.00 (रू० चार करोड़ बावन लाख तिरासी हजार एक सौ सत्तावन मात्र) में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (एस०आई०एच०एम०) में उच्च विशिष्टियों के निर्माण कार्य हेतु आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद गोरखपुर की वर्ष 2020 की अनुसूची दरों एवं डी०एस०आर० 2021 के आधार पर किया गया है, जो दरें अनुसूची दरों में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें कोटेशन/ बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट) के निर्माण की परियोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्यों को कराये जाने के संबंध में मा० मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 05.04.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(क) जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (एस०आई०एच०एम०) के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी एवं विकास कार्य (DEVELOPMENT WORK) में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्य जैसे-ग्लास मोजिक टाइल्स, ग्रेनाइट कार्य, कारनिस/सिल्स आदि हेतु जी०आर०सी० (ग्लास रेन फोर्ड कंक्रीट) टेरा कोटा टाइल्स, सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक जाली, जे०आर०सी० टाइल्स, सी०एन०सी० आर्ट वर्क, एच०बी०ए०सी० सिटम, फाल्स सीलिंग, फाउन्टेन (वाटर बाडी फिल्टर सिस्टम लाईट सहित) आदि का रू0 4,52,83,157.00 (रू० चार करोड़ बावन लाख तिरासी हजार एक सौ सत्तावन मात्र) में निर्माण कार्य कराया जाना।

(ख) प्रकरण में अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

4- जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान (स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट) के निर्माण की परियोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्यों को कराये जाने के संबंध में क्रियान्वयन से पूर्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

5. अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिवमा मुख्यमंत्री, उ0प्र0
4. निजी सचिद, मा० मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
5. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव,**
   वित विभाग/न्याय विभाग/संस्कृति विभाग/नियोजन विभाग, उ० प्र० शासन।
6. अण्डलायुक्त, गोरखपुर।
7. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन, निदेशालय, लखनऊ।
11. परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), यूनिट-14, गोरखपुर।
12. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आजमगढ़ गोरखपुर मण्डल।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।